2023/231

पत्रावली प्राप्त
12-2-24

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
इजराय	11/23	11/8/23		

अनवान

श्री लीला W/o श्याम सुन्दर श्री कालू S/o किशना अहीर

निवासी गांधी नगर भीलवाड़ा निवासी तिलस्वा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री गिरधारी लाल आचार्य श्री ....

2023/231

राजस्थान सरकार

31/8/2023

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
इजराय	11/23	11/8/23		

अनवान

श्रीमती लीला W/o श्याम सुन्दर महादेवा — श्री कालू S/o किशना अहीर

निवासी गांधी नगर, भीलवाड़ा — निवासी बिलस्वां

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री गिरधारी लाल आचार्य — श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा – इजराय आदेश – 21 नियम–11 नम्बर ......11....... / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
. .2023	इजराय सीगे से बाद जांच पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर की जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेज पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली वास्ते पालना दिनांक 31 / 08 / 2023 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
31/8/2023	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12/10/23 को वास्ते प.वा.पा. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
12/10/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 23/11/23 को वास्ते प.वा.पालना पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/11/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11/1/24 को वास्ते प.वा.पालना पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/1/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/2/24 को वास्ते पालना पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

15/2/24 पत्रावली पेश हुई ... उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। दिनांक 14/3/24 को वास्ते पालना पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/3/24 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि अमल दरामद कर दिया गया है। पालना होने के कारण पत्रावली को बंद किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधि.
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0

राजस्व प्रकरण संख्या 64/2012

दायर तारीख 30.08.2012

निर्णय दिनांकः- 19/07/23

अनवान

01. श्रीमती लीला देवी पत्नि श्यामसुन्दर जाति महादेवा उम्र बालिग व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी गांधी नगर भीलवाडा

................मृतक

1.1 श्यामसुन्दर पुत्र छोगा लाल जाति महादेवा उम्र बालिग निवासी 12/24 देवनारायण मन्दिर के पास आजाद नगर भीलवाडा

1.2 अनुराधा पुत्री श्यामसुन्दर जाति शर्मा उम्र बालिग निवासी 12/24 देवनारायण मन्दिर के पास आजाद नगर भीलवाडा

फोटो स्टेट प्रमाणित उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां

1.3 संजय कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति महादेवा उम्र बालिग निवासी 12/24 देवनारायण मन्दिर के पास आजाद नगर भीलवाडा

....................वादीगण

बनाम

01. कालू पुत्र किषना जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां
02. रामलाल पिता पुत्र किषना जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां
03. सत्यनारायण पुत्र किषना जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया
04. संजय पुत्र किषना जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया
05. नन्दू पुत्री किषना जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया
06. शिवली पुत्री किषना जाति अहीर उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया
07. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां
08. प्रबंधक महोदय भीलवाडा अजमेर क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक कास्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

........................प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 रा0टि0एक्ट

प्रकरण सख्या 64/2012 रे0.रे0वे0.

वादीया की और से प्रस्तुत वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। वादीया की ओर से प्रस्तुत बाद अनुसार वादीया द्वारा मौजा देबीनिवास प0ह0 तिलस्वा स्थित आराजी खसरा सख्या 155 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा दिनांक 07-05-1986 को निष्पादित पंजीकृत विकयपत्र द्वारा उस समय के दर्ज व कब्जेधारी खातेदार धन्ना, होकमा, डमरा पुत्र रूपा, हगामी पुत्री रूपा, मुस्मात खानी बेवा नारायण, देवी, भूरा कजोड, गुलाबी पिता नारायण, किषना पुत्र पन्ना अहीर से कय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया। वादिया के पक्ष मे निष्पादित विकयपत्र के आधार पर नामान्तकरण 76 दिनांक 22-1-1990 से वादिया के नाम पर राजस्व अभिलेखो मे खातेदारी दर्ज करने के लिए खोला गया।

लगातार पेज संख्या :-02

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाडा

कोर्ट फी COURT FEE
FOR COPYING FEES ONLY

आराजी ख0न0 155 में विक्रेता खातेदारान का कोई बकाया रकबा शेष नही रहा।वादिया द्वारा एक अन्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12-02-1988 द्वारा मोजा देबीनिवास प0ह0 तिलस्वा स्थित आ0न0 82 रकबा 9 बीधा भूमि उस समय के दर्ज व कब्जेधारी ,खातेदारान से कय की गयी जिसका नामान्तकरण सख्या 77 दिनांक 22-01-1990 को वादिया के नाम पर खोला गया। वादिया द्वारा क्रय की गयी भूमि पर वादिया का कब्जा होने के पश्चात वादिया द्वारा मोजा देबीनवास की जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 तक मे वादिया को बहेसीयत खातेदार के दर्ज अभिलेख करते हुये विक्रयपत्र के आधार पर वादिया के पक्ष मे खोले गये नामान्तकरणो की क्रियान्वती राजस्व अभिलेखो मे कर दी गयी कि वादिया के द्वारा क्रय की गयी भूमि सन् 2002 तक निरन्तर राजस्व अभिलेखो मे निर्विवाद रूप से बहेसियत खातेदारी के चलती रही किसी के भी द्वारा वादीया की खातेदारी मे दर्ज भूमि अथवा कब्जे बाबत विवाद नही किया। वादिया शान्ती पूर्वक बिना किसी के हस्तक्षेप के काबिज रह काश्त करती रही। आज भी वादिया का उसकी क्रय सुदा भूमि पर कब्जा है।कि लैण्ड होल्डर (तहसीलदार बिजौलिया) दिनांक 16-08-2002 को वादिया की बिना किसी जानकारी मे आने दिये वादिया की खातेदारी मे दर्ज भूमि मे वादीया के साथ किसना पुत्र मन्ना अहीर का नाम सह खातेदार के रूप मे दर्ज कर दिया। जो बिना किसी न्यायालय की डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश के वादिया की पीठ पीछे से दर्ज किया गया। जबकि वादीया द्वारा न तो किसना पुत्र मन्ना अहीर को भूमि विक्रय की गयी न ही कब्जा दिया गया।कि किसना पुत्र मन्ना अहीर की मृत्यु हो जाने से लैण्ड होल्डर द्वारा वारिसान के हक नामान्तकरण कमाक 156 दिनांक 20-4-2003 को प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक के नाम पर खोल दिया जिसकी भी कोई जानकारी वादिया को नही दी।कि आराजी ख0न0 155 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा का विकयपत्र दिनांक 07-05-1986 को किया गया उस विक्रयपत्र के विकेताओ मे किसना पुत्र मन्ना अहीर भी था जिसने विधिवत विकयपत्र का निष्पादन वादिया के पक्ष मे करवाया व विकयपत्र पर उसके हस्ताक्षर है।कि आराजी खसरा सख्या 82 रकबा 9 बीधा जब वादिया द्वारा कय की गयी तब किसना पुत्र मन्ना अहीर उसमे खातेदार नही था क्योकि उसने विकेता खातेदारो के नाम भूमि दर्ज करवाने से पूर्व अपना हिस्सा अन्य खसरा नम्बरान की भूमि मे से लेकर खसरा सख्या 82 रकबा 9 बीधा मे अपनी 1/3 हिस्से की खातेदारी समाप्त करवा अपना नाम हटवा लिया।कि प्रतिवादी कमाक 1 से 6 तक दिनांक 6-4-2012 मे वादिया की कय सुदा व कब्जे भूमि मे यह कहकर हस्तक्षेप कर विवाद शुरू किया की वे वादग्रस्त जायदाद मे वादिया के साथ सह खातेदार है तो वादिया द्वारा राजस्व अभिलेखो के सम्बन्ध मे जानकारी की तो प्रतिवादी सख्या 1 से 6 तक को प्रदत अवेध खातेदारी की जानकारी हुयी। यह भी वादिया को जानकारी हुयी कि लैण्ड होल्डर से मिली भगती कर वादिया की बिना जानकारी मे आने दिये रेकर्ड मे हेरा फेरी करवायी है व किसना पुत्र मन्ना अहीर को सह खातेदार के रूप मे दर्ज किया गया। बाद मे किसना की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ हैकि वादिया द्वारा वादिया की बिना किसी जानकारी व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 को प्रदत अवैध खातेदारी से उनका नाम हटाने व कुलिया भूमि वादिया के नाम पूर्ववत दर्ज अभिलेख कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।कि प्रतिवादीगण की तलबी पर प्रतिवादीगण न्यायालय मे उपस्थित हुये प्रतिवादीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।कि प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक का खसरा सख्या 155 व 82 मोजा देबीनिवास मे 1/3 हिस्सा है व वादिया का 2/3 हिस्सा है किसना पुत्र मन्ना अहीर ने अपना 1/3 हिस्सा वादिया को विक्रय नही किया उसका कब्जा निरन्तर चला आता रहा है। किसना अहीर की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सख्या 1 से 6 तक का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

प्रमाणित फोटो प्रति
शंकर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाडा

संवत 2035 से 2042 तक की जमाबन्दी मे ख0न0 155-80, 81 व 82 किता 4 रकबा 28 बीधा 10 बिस्वा मे प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक के पिता किसना पुत्र मन्ना अहीर का 1/3 हिस्सा दर्ज है। वर्ष 2044 से 2047 की जमाबन्दी मे किसना पुत्र मन्ना अहीर का नाम लिखने से रह गया जिसे 26-8-2002 के शुद्विपत्र द्वारा दुरूस्त करवाया गया। इस प्रकार की शुद्वि से किसी के खातेदारी अधिकार प्रभावित नही होती है। वर्ष 1988 मे किये भूमि कय का नामान्तकरण 1990 मे खोला गया उसका वादिया ने देरी से खुलवाने नामान्तकरण का कोई स्पष्टीकरण नही दिया है।कि जिस वादिया ने भूमि क्रय की उसका शुद्विपत्र से हक प्रभावित नही हो रहे थे। विकयपत्र यदि किसना पुत्र मन्ना अहीर की निशानी अथवा हस्ताक्षर किये गये है तो फर्जी है। किसना पुत्र मन्ना अहीर अपना हिस्सा विक्रय नही किया। वादिया के कब्जे काश्त व उपयोग मे भूमि नही है। वादिया 100 किलोमीटर दूर भीलवाडा रहती है।कि वादिया का वाद काल्पनिक तथ्यो पर आधारित है। प्रतिवादीगण ने अपने 1/3 हिस्से पर ऋृण ले रखा है। यदि प्रतिवादीगण क्रमाक 1 से 6 तक अपने हिस्से का किसी भी रूप मे उपयोग करे तो वादिया को आपती नही होनी चाहिये।वादिया एवम प्रतिवादीगण क्रमाक 1 से 6 के जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गयी प्रतिवादीगण क्रमाक 7 व 8 ने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। निम्न तनकीयात बनायी गयी।

01. आया वादिया द्वारा जरिये विकयपत्र दिनांक 07-05-1986 से मोजा देबीनिवास की कृषि भूमि ख0न0 155 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा धन्ना होकमा डमरा पुत्र रूपा हगामी पुत्री रूपा खानी बेवा नारायण, देबी, भूरा, कजोड, गुलाबी पिता नारायण एवम किशना पुत्र पन्ना अहीर से कय की जाकर वादीयान खातेदार है।
....................जिम्मे वादिया

02. आया आराजी ख0न0 155 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा रकबा वादिया द्वारा कय करने के पश्चात उक्त रकबे का कोई रकबा शेष नही है।
......................जिम्मे वादीया

03. आया देबीनिवास स्थित ख0न0 82 रकबा 9 बीधा तत्कालीन खातेदारो से वादिया ने जरिये विकयपत्र दिनांक 12-02-1988 के क्रय करने के पश्चात सह खातेदारी किसना पुत्र पन्ना अहीर दिया जाना अनुचित एवम अवैध है किसना की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान को प्रदत खातेदारी अवैध है जो समाप्त किये जाने योग्य है।
....................जिम्मे वादिया

04. आया ख.न. 155 व 82 की कुलिया भूमि के वादिया द्वारा कय करने के पश्चात उसमे सहकाश्तकार किसना पुत्र पन्ना अहीर को वादिया की बिना जानकारी के खातेदारी दिया जाना अनुचित एवम अवैध है किसना की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान को दी गयी खातेदारी हटाये जाने योग्य है।
...................जिम्मे वादिया

05. आया वादग्रस्त जायदाद खसरा सख्या 155 व 82 में किसना पुत्र पन्ना अहीर का 1/3 हिस्सा है।

..........................जिम्मे प्रतिवादीगण

06. आया शुद्विपत्र द्वारा किसना पुत्र पन्ना अहीर को प्रदत खातेदारी वादिया के मुकाबले सही होने से प्रतिवादी सख्या 1 से 6 को मृतक किसना पुत्र पन्ना अहीर के बाद प्राप्त खातेदारी वैध होने से वादिया का वाद पोषनीय नही है।
..........................जिम्मे प्रतिवादी

07. अनुतोष वादिया की ओर से साक्ष्य प्रारम्भ की जाकर साक्ष्य मे वादिया गवाह लीला देवी गवाह श्यामसुन्दर गवाह तुलसीराम के बयान करवाये एवम प्रस्तुत विकयपत्र दिनांक 07-05-1986 व दिनांक 12-02-1988 एवम तत्कालीन जमाबन्दी व वाद के समय की जमाबन्दी को प्रर्दश करवाया।

लगातार पेज संख्या :-04

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाडा

FOR COPYING FEES ONLY

प्रमाणित प्रति सही
शंकर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाड़ा

वादिया पी.डब्ल्यू 1 द्वारा वादपत्र व अपने द्वारा प्रस्तुत विकयपत्रो के अनुसार बयान दिया व अपना विक्रयपत्र के निष्पादन के पश्चात कब्जा होने व काश्त करवाने बाबत साक्ष्य दी।वादिया ने अतिरिक्त गवाह श्यामसुन्दर पी.डब्ल्यू 2 ने वादिया का कब्जा होना व वादिया के पति होने से उसकी ओर से वादग्रस्त जायदाद की देखभाल करना और क्रय भूमि पर काश्त करवाने व उपज प्राप्त करने का कथन किया।वादिया के गवाह पी.डब्ल्यू 3 ने भी वादिया की क्रय सुदा भूमि पर कब्जा होने का कथन करते हुये वादिया के बयान की ताईद की।प्रतिवादीगण को अपनी ओर से साक्ष्य का अवसर देने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की न ही अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का प्रमाणित करवाया न ही अपने द्वारा दस्तावेजो को प्रस्तुत करवाया। वादिया की दोराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को वादिया के स्थान पर पक्षकार बना दिया है जो पत्रावली पर मौजूद है।पक्षकारान की ओर से उनके अभिभाषको की ओर से बहस की गयी।वादिया के अभिभाषक द्वारा अपना पक्ष रखते हुये निवेदन किया कि विक्रयपत्र दिनांक 17–5–1986 बाबत खसरा सख्या 155 पर विक्रेता के रूप मे किसना पुत्र मन्ना अहीर के हस्ताक्षर है उसने स्वंय ने अपने नाम पर दर्ज भूमि विकय कर कब्जा दिया जिसका विवरण विक्रयपत्र मे दर्शाया हुआ है। उक्त विक्रयपत्र बाबत की गयी प्रतिवादीगण की आपति की विकयपत्र पर हो रखे हस्ताक्षर फर्जी है किसी साक्ष्य से प्रतिवादीगण ने सिद्व नही करवाया है एवम न ही विकयपत्र को निरस्त करवाने की प्रतिवादीगण द्वारा कानूनी कार्यवाही की गयी है विकयपत्र पंजीकृत है इसलिये आज भी प्रभावशील है ख0न0 82 रकबा 9 बीधा के सम्बन्ध मे अभिभाषक वादिया की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब वादिया द्वारा भूमि क्रय की गयी तब किसना पुत्र मन्ना अहीर खातेदार नही था। वादिया ने भूमि क्रय करते समय राजस्व अभिलेखो का अवलोकन कर दिनांक 12–2–1988 को भूमि क्रय की थी। इस भूमि के सह खातेदारान जिन्होने वादिया को भूमि विक्रय कर कब्जा दिया तब भी उन्होंने किसना अहीर की खातेदारी व हिस्से की भूमि की जानकारी नही दी वादिया ने सदभावी क्रेता के रूप मे भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया।

कि वादिया की बिना जानकारी मे आने दिये और उसको सुने बिना उसके पीछे पीछे किसना पुत्र मन्ना अहीर दोनो नम्बरो मे 1/3 हिस्से की खातेदारी दे दी गयी जबकि वादिया रेकर्डडेड खातेदार थी ऐसी स्थिती मे जो भी खातेदारी किसना पुत्र मन्ना अहीर को दी गयी वह विधि विरूद्व होकर किसना पुत्र मन्ना अहीर को प्रदत खातेदारी अवेध है जिसका वादिया के खातेदारी हक अधिकारो पर कोई विपरित प्रभाव नही है। विधि मे ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि बिना न्यायालय की डिक्री व आदेश के किसी दर्ज खातेदार की खातेदारी केवल शुद्वी पत्र के आधार पर समाप्त कर अन्य को खातेदारी प्रदान कर दी जाये। यदि किसी खातेदार का नाम खातेदारी से हट गया है तो वह न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत करकें ही जुडवा सकता है। शुद्वि पत्र द्वारा केवल तकनीकी अथवा लिपिकीय त्रुटी को ठीक किया जा सकता है किसी की खातेदारी को समाप्त कर अन्य को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। न ही ऐसी विधि मे व्यवस्था है कि किसी अभिलिखित कब्जेधारी खातेदार को बिना सुने उसकी खातेदारी समाप्त कर उसकी अन्य को खातेदारी दे दी जाय।

वादिया के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के संदर्भ निम्न निर्णय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये।

1. आर.आर. डी. 2001 पेज 409

राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट धारा 84 ,9 एवम 136 केवल लिपिकीय त्रुटी को ही रेकर्ड मे दुरूस्ती उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जा सकती है। यदि कृषि खातेदारी भूमि को लेकर विवाद है तो ऐसी त्रुटी केवल सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर उसकी खातेदारी प्राप्त की जा सकती है ऐसे मामले तय करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। धारा 84, 9 व 136 रा0लेण्ड एक्ट के तहत जो कार्यवाही कर खातेदारी अधिकारो मे परिवर्तन किया वह बिना क्षैत्राधिकार के किया गया उपखण्ड अधिकारी का कृत्य है।

लगातार पेज संख्या :–05

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाड़ा

FOR COPYING FEES ONLY

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाड़ा

(2) आर.आर. डी. 2000 पेज 535

राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट धारा 84–135 व 136 प्रभावी पक्षकारान को बिना सुने नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी का इन्द्राज किया गया वह विधि के विरूद्व है। मामले की पूर्ण जांच कर उसकी तह तक पहुचने के पश्चात आदेश पारित करने हेतु लोटाया।

(3) आर. एल डब्ल्यू 2011(1) पेज 298

राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट धारा 136राजस्व अभिलेखो मे हुयी त्रुटी को दुरूस्त करना खातेदारी भूमि पिछले वर्षो मे प्रार्थी एवम प्रतिपक्ष के नाम पर दर्ज थी। बाद के वर्षो मे केवल प्रतिपक्ष के नाम पर दर्ज कर दी गयी व प्रार्थी का नाम हट गया। प्रार्थी ने इस त्रुटि को दूर करने का आवेदन किया भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत सही नही किया जा सकता है। क्योकि इस धारा मे केवल लिपिकिय त्रुटि ठीक करने की व्यवस्था है। खातेदारी के परिवर्तन करने का मामला इसमे नही आता है।इस प्रकार स्पष्ट है कि शुद्वि पत्र के आधार पर किसना पुत्र मन्ना अहीर को खातेदारी दी गयी वह प्रस्तुत न्यायिक उदहरण के अनुसार विधि विरूद्व शुद्विपत्र के आधार पर की गयी दुरूस्ती है जो शुद्विपत्र द्वारा नही की जा सकती है।इस प्रकार किशना पुत्र मन्ना अहीर के बाद मे जो वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण क्रमाक 1 से 6 तक के नाम पर दर्ज की गयी हटाये जाने योग्य है और वादिया को कुलिया भूमि का खातेदार घोषित किया जाना विधि सम्मत है।

प्रतिवादीगण की और से की गयी बहस के अनुसार प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने तर्क दिये की। किसना पुत्र मन्ना अहीर की खातेदारी अकारण ही समाप्त की गयी है एवम इस प्रकार की समाप्त की गयी खातेदारी का कोई कानूनी महत्व नही है। राजस्व अभिलेखो मे जिस प्रकार से किसना पुत्र मन्ना अहीर का नाम हटाया गया उसे यदि शुद्वि पत्र द्वारा राजस्व अधिकारियो ने ठीक किया है तो उनका कृत्य विधि विरूद्व .नही है इसलिए प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक की खातेदारी समाप्त की जाकर कुलिया भूमि की वादिया की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को खातेदार घोषित नही किया जाना चाहिये। प्रस्तुत वादपत्र खारिज योग्य है।

दोनो पक्षो द्वारा की गयी बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया व पत्रावली वादपत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन व प्रस्तुत निर्णयो पर विचार किया गया । इसी क्रम मे वादपत्र मे बनी तनकी अनुसार न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है...

तनकी सख्या 1–

इसको सिद्ध कराने का भार वादिया पर है विक्रय पत्र बाबत खसरा सख्या 155 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 7–5–1986 मे एक सहकाश्तकार किसना पुत्र मन्ना अहीर है जिसका नाम विकेताओ मे सम्मिलित हो उस पर किसना के भी हस्ताक्षर है जिसके फर्जी साबित करवाने के लिए प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है इसलिए विकयपत्र का दिनांक 07–5–1986 बिना विवाद के साबित हुआ है जिसे बिना ठोस के साक्ष्य के न्यायालय भी प्रश्नगत व अविश्वास नही कर सकता है। जहा तक विकयपत्र बाबत खसरा सख्या 82 का प्रश्न है वादिया ने भूमि क्रय की तब किसना पुत्र मन्ना अहीर खातेदार नही था जो खातेदार जमाबन्दी मे दर्ज थे उन्ही से वादिया भूमि क्रयकर दिनांक 12–02–1988 को पंजीकृत विक्रयपत्र का निष्पादन करवाया। दोनो ही विक्र्यपत्रो के आधार पर वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि वादिया के नाम पर बहेसियत खातेदारी के दर्ज हुयी है। दोनो विकयपत्रो मे विकेताओ ने कब्जा देने का विवरण अंकीत किया है।

कि प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक ने आपत्ती की किसना पुत्र पन्ना अहीर की खातेदारी को अकारण ही हटा दिया गया जिसको शुद्विपत्र द्वारा दुरूस्त करवाया गया। प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक ने व प्रतिवादी सख्या 7 ने साक्ष्य द्वारा यह साबित नही करवाया कि शुद्विपत्र किस प्रकार तैयार किया गया किस अधिकारी ने शुद्विपत्र का आदेश किन प्रावधान के तहत दिया। वादिया की खातेदारी समाप्त करने पूर्व क्रेता वादिया को सुना गया या नही सुना गया।

लगातार पेज संख्या :–06

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाड़ा

वादिया की ओर से जो न्यायिक उदहरण प्रस्तुत किये गये उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि शुद्विपत्र द्वारा इस प्रकार की दर्ज खातेदारी समाप्त नही की जा सकती है यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुयी है तो उसके लिए नियमित वाद लाना आवश्यक था ओर खातेदार को सुना जाना भी आवश्यक था। इसलिए जो शुद्विपत्र का आधार प्रतिवादी सख्या 1 से 6 तक ने लिया है वह सही प्रतित नही होता है।जहा तक वादिया के कब्जे का प्रश्न है वह वादिया ने साक्ष्य मे सिद्व करवाया है प्रतिवादी सख्या 1 से 6 तक कब्जे बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के किया जाता है।

तनकी नं0 2:–

इस तनकी को सिद्व करवाने का भार वादिया पर है न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकर्ड जो रकबा ख.न. 155 का 5 बीधा 10 बिस्वा है उसको सभी अभिलिखित दारो ने वादिया को पंजीकृत विक्रयपत्र से विक्रय कर कब्जा दे दिया खसरा नं0 155 का विक्रयपत्र वादिया ने पेश किया उसका अवलोकन किया गया जिसमे कुलिया रकबा विक्रय किये जाने का विवरण है इस विक्रयपत्र में विक्रेता किसना पुत्र पन्ना अहीर भी सम्मिलित है ख.न. 155 का कोई रकबा छोडकर विक्रयपत्र निष्पादित नही किया गया है इसलिए उक्त तनकी का निर्णय वादिया के वारिसान वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण के वादिया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करा दिये जाने से तय की जाती है।

तनकी न03:–

उक्त तनकी को साबित करवाने का भार वादिया पर है। आराजी ख0न0 82 रकबा 9 बीधा के सम्बन्ध में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड को देखा गया उसमे वक्त विक्रयपत्र किसना पुत्र पन्ना अहीर खातेदार नही था। वादिया ने जमाबन्दी देखकर विक्रयपत्र दिनांक 12–02–1988 का पंजीयन करवाया इस तनकी बाबत प्रतिवादीगण की बहस पर विचार कर निर्णय किया जाना है व वादिया की और से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व जो रूलिगे पेश की गयी उसके मध्य नजर न्यायालय का मत है कि यदि किसना पुत्र पन्ना अहीर का जमाबन्दी मे नाम लिखने से रहा तो उसके आवेदन पर जिस प्रकार सन 2002 मे शुद्विपत्र तैयार किया गया वह एकपक्षिय होकर अभिलिखित खातेदार को नही सुना गया व वादिया की खातेदार दर्ज भूमि मे कटौती कर किसना अहीर को 1/3 हिस्से की खातेदारी दी गयी वह विधि की द्वष्टि से सही प्रतित नही हो रही है। क्योकि शुद्विपत्र तैयार करते समय प्रभावी खातेदार को सुना जाना आवश्यक था जैसा कि प्रस्तुत हुये निर्णय मे माननीय राजस्व मण्डल ने माना है। किसना अहीर के पास नियमित वाद लाने का विकल्प था। शुद्विपत्र की कार्यवाही के समय खातेदार वादिया को सुना गया ऐसा कोई प्रतिवादीगण ने रेकर्ड प्रस्तुत नही किया है इसलिए इस तनकी का निर्णय वादिया के वारिसान के पक्ष में किया जाता है।

तनकी न0 4

इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादिया पर है इस तनकी के सम्बन्ध में तनकी न0 3 के निर्णय के समय न्यायालय ने
अपना मत किया है कि किसना अहीर को जिस प्रकार के शुद्वि पत्र से खातेदारी प्रदान की गयी वह खसरा सख्या 155 व 82 के सम्बन्ध में विधि सम्मत नही है। वादिया की बिना जानकारी व उसके अवसर दिये बिना किया गया शुद्विपत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे किया गया परिवर्तन उचित नही था इसलिए इस तनकी का निर्णय वादिया द्वारा अपने पक्ष मे सिद्व करवाने से व प्रतिवादीगण की इस बिन्दु पर साक्ष्य के अभाव में वादिया के वारिसान के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाड़ा

तनकी न0 5

इस तनकी को सिद्व कराने का भार प्रतिवादीगण पर है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इसको सिद्व करवाने के लिए दस्तावेजी या मोखिक साक्ष्य नही की गयी शुद्विपत्र पेश कर साक्ष्य से सिद्व नही करवाया जो शुद्वि तैयार किया गया वह विधिक प्रकिया अनुसार नही है खसरा नम्बर 155 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा विकय किया जाकर उसका पंजीयन करवाया गया उसमें किसना पुत्र पन्ना अहीर भी शामिल है इसलिए किसना पुत्र पन्ना अहीर उसमे शुद्वि पत्र द्वारा अपना 1/3 हिस्सा दर्ज करवाने का अधिकारी नही था ख0न0 155 बाबत किसना अहीर को शुद्विपत्र से दी गयी खातेदारी अवैध है। ख0न. 82 बाबत जिस प्रकार से शुद्वि पत्र द्वारा किसना पुत्र पन्ना अहीर को खातेदारी दी गयी वह भी उचित प्रति नही हो रही है जिसके सम्बन्ध मे उपर की तनकियातो के निस्तारण के समय न्यायालय अपना मत व्यक्त कर चुका है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व इस तनकी का निर्णय किया जाता है।

तनकी न0 6

इस तनकी को सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीगण पर है जिस शुद्वि पत्र को आधार मानकर प्रतिवादीगण कमाक 1 से 6 तक किसना पुत्र पन्ना अहीर को 1/3 हिस्से की खातेदारी दिया जाना सही मानते है। उस शुद्विपत्र के आधार पर की गयी दुरूस्ती सही होने बाबत कोई दस्तावेजी व अपनी साक्ष्य पेश नही की है न ही ऐसा कोई कानून प्रतिवादीगण ने बताया कि अभिलिखित खातेदार की बिना जानकारी के व सुनने का अवसर दिये तैयार किया गया शुद्विपत्र को सही होना माना जाना चाहिये। जबकि वादिया की ओर से शुद्विपत्र बाबत आपतिया सही प्रतित होने व रूलिग का अवलोकन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि किसना पुत्र पन्ना अहीर की शुद्विपत्र के आधार पर दी गयी खातेदारी सही नही है। अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णत की जाती है।

–:आदेशः–

चुंकि तनकी संख्या 1 से लगायत 4 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया गया है एवं तनकी संख्या 5 एवं 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाकर वादीगण को मौजा देवीनिवास पटवार हल्का कास्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 9 बीघा एवं आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है। एवं उक्त आराजियात में से प्रतिवादीगण कमांक 1 से 6 तक की खातेदारी समाप्त की जाती है। साथ ही उक्त आराजियात को वादीगण की खातेदारी में दर्ज अभिलेख किये जाने के आदेष दिये जाते है। प्रतिवादीगण को इस आष्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वे विवादित भूमि का अंतरण नही करें वादीगण के कब्जेकाष्त में बाधा नही पहुंचाएं एवं उन्हें जबरन बेदखल नही करें। निर्णयानुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

आदेश आज दिनांक 19/07/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला भीलवाडा

FOR COPYING FEES ONLY